प्रतिलिपि आदेश दिनांक 3-/-14 पारित द्वारा श्री अशोक शिवहरे सदस्य राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर प्रकरण क्रमांक 1856-तीन/14 विरुद्ध आदेश दिनांक 25-4-14 पारित द्वारा अपर कलेक्टर सागर प्रकरण क्रमांक 53/अ-27/13-14.

महेश पिता श्री बलराम अहिरवार
निवासी पालीटेक्निक रोड खुरई
तहसील खुरई जिला सागर म०प्र० --- आवेदक

विरुद्ध

म०प्र० शासन -- अनावेदक

3.7.2014

प्रकरण में पूर्व पेशी पर आवेदक के अभिभाषक को निगरानी की ग्राह्यता पर सुना जा चुका है, प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। अपर कलेक्टर, सागर के प्र.क. 53/अ-27/13-14 में पारित आदेश दिनांक 25-4-14 के अवलोकन से पाया गया कि उन्होंने म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 165 के अंतर्गत मूल न्यायालय की हैसियत से आदेश पारित किया है जिसके विरूद्ध प्रथम अपील आयुक्त/अपर आयुक्त को होगी एवं आयुक्त एवं अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध अपील/निगरानी राजस्व मण्डल में पोषणीय है।

2/ उपरोक्त कारणों से अपर कलेक्टर का आदेश दिनांक 25-4-14 अपील योग्य होने से आवेदक सक्षम न्यायालय में अपील करने हेतु स्वतंत्र है। वह चाहे तब इस आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर 30 दिवस के भीतर आयुक्त/अपर आयुक्त के समक्ष अपील कर सकेगा। तदनुसार निगरानी अग्राह्य होने से अमान्य की जाती है। पक्षकार टीप करें। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रति भेजकर प्रकरण रिकार्ड रूम में जमा करें।

सदस्य